कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नैनीताल (हल्द्वानी)

ईमेल–cfontl.ukfs@gmail.com,

पत्रांकः– सी0एफ0ओ0–न–6(इ0)/2021 दिनांक–जुलाई 14 ,2021

सेवा में,

OWNER/MANAGER,
ST. JOSEPH CONVENT SCHOOL,
SHANTIKUNJ-2, PEERUMADARA,
RAMNAGAR, DISTT-NAINITAL,UTTARAKHAND,

विषयः– अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक एंव आवेदक द्वारा किए गये आवेदन पत्र सं0–**83558784** दिनांकः–**08.07.2021** के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के निर्गत आदेश दिनांकः**09.07.2021** के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रामनगर द्वारा **ST. JOSEPH CONVENT SCHOOL, SHANTIKUNJ-2, PEERUMADARA, RAMNAGAR,** का प्राथमिक अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया। वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1.परिसर में रिजर्व वाटर टैंक **15 हजार ली0** क्षमता का स्थापित है।

2 परिसर में **18 अदद** एबीसी टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर **04 किग्रा0** क्षमता, **02 अदद** सीओटू टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर **4.5 किग्रा0** क्षमता का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त **संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है** साथ ही निर्देशित किया जाता है कि –

1. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार **NBC-2016** के **Part-04** में निहित मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।

2. निर्देशित किया जाता है कि मानक के अनुसार 90 दिवस के भीतर निहित मानकों के अनुसार अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक 50 हजार ली0 क्षमता एवं ओवर हैड टैंक 10 हजार लीटर क्षमता का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा तथा प्रत्येक तल/उचित दूरी पर 10 अदद होजरील मय फिटिंग्स, 04 अदद फायर हाईड्रेन्ट प्वाईन्ट मय फिटिंग्स के व उक्त हेतु 2480 lpm क्षमता का विद्युत/डीजल चलित पम्प एवं 180 lpm क्षमता का जॉकी पम्प एवं 450 लीटर प्रति मिनट का टैरेस पम्प का प्राविधान कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना आवश्यक होगा अन्यथा यह अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

3. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जायें।

4. आपके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्क्रमण प्रकिया (**Evacuation**) का ज्ञान होना आवश्यक है।

5. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस–पास तथा निकास मार्ग, भवन सैट बैक क्षेत्र में किसी समाग्री का भण्डारण नही किया जायेगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नही की जायेंगी।

6. प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर (नियमानुसार (10 रू0 प्रति फायर एक्सटिंयूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क–(फायर सर्विस हैड **0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाये , 109 अग्नि से संरक्षण एव नियन्त्रण** कराया जायेगा) अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण–पत्र नवीनीकृत नही कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्तः समझा जायेगा।

7. निर्गत अग्निसुरक्षा प्रमाण–पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण/कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नही होगा।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव तथा शर्तो का पालन किए जाने एवं **प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रामनगर द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्या पत्रांक–अना0–01/2021 के आधार पर** **ST. JOSEPH CONVENT SCHOOL, SHANTIKUNJ-2, PEERUMADARA, RAMNAGAR,** को दिनांक–**14 जुलाई, 2021** से **13 जुलाई, 2022** तक **अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन** किए जाने हेतु अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल हल्द्वानी